4/9/2021

पत्रावली पेश हुई। विद्वान वकील वादी उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। इस आशय का आदेश अलग से टंकित कराया जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:55:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,भदेसर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजु शर्मा आर.ए.एस.

दिनांक: 08.09.2021

प्रकरण संख्या – 80/2017

अनवान

पीरुलाल पिता नंदाजी खटीक उम्र वयस्क निवासी मण्डफिया तहसील भदेसर

.........वादी

।। बनाम ।।

1. भेरुलाल पिता नंदाजी भील उम्र वयस्क निवासी सेगवा तहसील भदेसर
2. सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर, जिला चित्तौडगढ (राज)

.............प्रतिवादीगण

वाद पत्र खातेदारी घोषणा, नक्शा दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 89,188 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित – श्री फारुख मोहम्मद वकील वादी

पेरोकार सरकार प्रतिवादी सं. 02

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89 एवं 188 के तहत वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि आराजीयात ग्राम सेगवा पटवार हल्का पोटला कलां, तहसील भदेसर की खाता संख्या 69 पर दर्ज आ. नं. 1/5 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा भूमि दर्ज रेकार्ड है। साक्ष्य में नकल जमाबंदी संवत 2060 से 2063 की प्रमाणित प्रति व नक्शा ट्रेस संलग्न वाद पत्र है। ग्राम सेगवा का भूप्रंबधन दिनांक 20.01.2010 को की गई जिसके तहत साबिक से नवीन आराजी नं0 एवं रकबे को बदलते हुए बीघा से हैक्टेयर में रुपांतरिल किया गया इसी दोरान वादी की आराजी नम्बर 1/5 के नवीन आराजी नं. 1 कायम करते हुए नवीन रकबा 0.85 हैक्टेयर कायम किया गया जबकि साबिक नाप से नवीन रकबा 1.21 हैक्टेयर बनना चाहिए था जो भू–प्रबंध कर्मचारियों द्वारा बनाया गया तथा जो नक्शा साबिक के मुकाबले नवीन बनाया गया उसमें वादी के आराजी नं. 01 को नवीन नक्शे में शंकुनुमा आकार का तरमीम कर दिया तथा आराजी नं. 02 जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज है उसे वादी की साबिक आराजी नम्बर के नक्शे में तरमीम कर दिया जिसको वादी दुरुस्त कराने तथा साबिक रकबे अनुसार नवीन नक्शा बनाने का अधिकारी होने से वाद पत्र बाबत खातेदारी घोषणा एवं ... को पेश किया है।

प्रतिवादी सं. 01 वर्तमान के आराजी नं. 2 जो भू–प्रबंध पूर्व आराजी 1/2 से बना है जिसे साबिक नक्शे में वादी की आराजीयात के पूर्व में दो

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौडगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:55:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

आराजी नम्बर को छोडने के पश्चात अंकन कर रखा है जिससे स्पष्ट है कि राजस्व कर्मचारियो द्वारा प्रतिवादी सं. 01 को नवीन नक्शे में वादी की आराजी [illegible] से लगा हुआ नवीन नक्शे में अंकित किया है जो पूर्णतया साबिक नक्शे के विपरीत है जिससे वादी अपने नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती करा साबिक नक्शे अनुसार ही अंकित करवाने का अधिकारी हाने से वाद पत्र ट्रेस दुरूस्ती पेश किया है।

राजस्व अधिकारियो को केवल मात्र साबिक नक्शे को नवीन नक्शे में परिवर्तित करते हुए उसमें नवीन आराजी नम्बर अंकित करना तथा पुराने रकबे को नवीन रकबे में रूपांतरित करना था इसके अतिरिक्त कोई भी विशेषाधिकार भू-प्रबंध अधिकारियों को नहीं रहता है फिर भी अपने क्षैत्राधिकार से परे जाकर बिना किसी सक्षम आदेश के उक्त रकबे में एवं नक्शे में त्रुटि अंकित करते हुए नवीन नक्शा व रकबा बनाया गया है जिसे वादी दुरूस्त कराने का अधिकारी है।

वादी का साबिक नक्शे अनुसार नवीन रकबा 1.21 हैक्टेयर पर कब्जा निरतंर एवं निर्बाध रूप से चला आ रहा है लेकिन राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि से गलत नक्शे में तरमीम करने से प्रतिवादी सं. 01 मौके पर वादी से शांति पूर्वक कब्जे काश्त में दखल करने पर आमादा हो रहा हे इसलिये प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करे ना ही ऐसा किसी अन्य से करावें।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वाद पत्र पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर वादी को वादग्रस्त आराजीयात की आराजी नं.01 में अंकित रकबा 0.85 हैक्टेयर के बजाय 1.21 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती करते हुए नक्शे में दुरूस्ती की आज्ञप्ति प्रदान कराई जावे तथा प्रतिवादी सं. 01 को नवीन नक्शा में आराजी नं. 02 अंकित कर रखा है उसे दुरूस्त किया जावे तथा नक्शे के बीच में अंकन है को हटाया जाकर साबिक नक्शे अनुसार तरमीम कराने हेतु ट्रेस दुरूस्ती की जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करे ना ही ऐसा किसी अन्य से करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बरोज पेशी प्रतिवादी सं. 01 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने के आदेश पारित किये गयें। प्रतिवादी सं. 02 पेरोकार सरकार उपस्थित हुए। तहसीलदार भदेसर से कमीश्नरी रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2019/21[illegible] दिनांक 03.07.2019 से प्राप्त की गई। जिसके अनुसार पूर्व भू-प्रबंध साबिक आरा[illegible] 1/5 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा दर्ज थी जिसका हाल आराजी नं. [illegible] रकबा [illegible] हैक्टेयर किया गया। वादी के पूर्व में दर्ज क्षैत्रफल के [illegible] में 0.37 हैक्टेयर कम कर दिया गया। प्रार्थी वर्तमान में 1.08 हैक्टेयर पर काबिज है। साथ ही नक्शा ट्रेस दुरूस्ती करने हेतु भी प्रस्तावित नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:55:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

प्रकरण में प्रतिवादी ओर से किसी प्रकार का वादोत्तर प्रस्तुत नहीं होने से वाद बिंदु कायम नहीं किये गये । वाद के समर्थन में वादी की ओर से निम्न दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गये ।

1. नकल जमाबंदी मौजा सेगवा खाता सं. 01 संवत् 2073-2076
2. नक्शा ट्रेस मौजा सेगवा
3. नकल जमाबंदी मौजा सेगवा खाता सं. 01 संवत् 2060-2063
4. मिलान क्षेत्रफल मौजा सेगवा पटवार हलका पोटला कलां
5. नकल जमाबंदी मौजा सेगवा खाता सं. 94 संवत् 2073-2076
6. नकल जमाबंदी मौजा सेगवा खाता सं. 134 संवत् 2069-2072

लायक अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गयी जिन्होनें वाद वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वादी को साबिक रकबे अनुसार नवीन आराजी में बनने वाले 1.21 हैक्टैयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा नवीन नक्शा ट्रेस में वादी की आराजी को गलत तरमीम कर दिया गया है को दुरूस्त किया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष अभिलेख का अधोपान्त अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया। वादी ने अपने अभिवचनों एवं प्रस्तुत दस्तावेज से वाद को साबित कराया गया है। अतः वाद स्वीकार किया जाना उचित मानते है।

उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आलोक में वाद वादी डिक्री किया जाता है कि ग्राम सेगवा पटवार हल्का पोटला कलां, तहसील भदेसर की खाता संख्या 69 पर दर्ज आ. नं. 1/5 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा बाद भू-प्रबंधन में नवीन आराजी नं. 1 रकबा 0.85 हैक्टेयर कायम करते हुए वादी के रकबे को कर दिया गया। भू-प्रबंध में बिना किसी सक्षम स्वीकृति के वादी के कम किये रकबे को दुरूस्त किया जाकर वादी को 1.21 हैक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है साथ ही साबिक नक्शे को नवीन भू-प्रबंध के दौरान गलत तरमीम कर दिया गया है इसलिये नक्शा ट्रेस को आरजी एवं रकबे अनुसार तरमीम करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही अन्य खातेदार की आराजी नं0 2,3,4 एवं 5 का भी नक्शा रकबे अनुसार तरमीम किया जावे। तद्नुसार राजस्व रेकार्ड [illegible] किया जावे। इसी आशय का पर्चा डिक्री अलग से मुर्तिब हो।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित [illegible] सुनाया गया ।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:55:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(व्य0प्र0सं0 के आदेश 20 के नियम 6 व 7)

न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी, मुकाम–भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज0)

बईजलास – सुश्री अंजु शर्मा, आर0ए0एस0,

उनवान

पीरुलाल पिता नंदाजी खटीक उम्र वयस्क निवासी मण्डफिया तहसील भदेसर

.........वादी

।। बनाम।।

1. भेरुलाल पिता नंदाजी भील उम्र वयस्क निवासी सेगवा तहसील भदेसर

2. सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर, जिला चित्तौडगढ (राज)

.............प्रतिवादीगण

वाद पत्र खातेदारी घोषणा, नक्शा दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,89,188 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण सं0 80/2017

उपखण्ड अधिकारी भदेसर, जिला ... सत्यमेव जयते

वादी की और से वकील श्री फारुख मोहम्मद एवं प्रतिवादी सं. 01 की ओर से कोई उपस्थित नहीं एंव प्रतिवादी सं. 02 की ओर से पेरोकार सरकार की उपस्थिति में इस वाद को आज दिनांक 08.09.2021को न्यायालय के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने वाद वादी डिकी किया जाता है कि:– वाद वादी डिक्री किया जाता है कि ग्राम सेगवा पटवार हल्का पोटला कलां, तहसील भदेसर की खाता संख्या 69 पर दर्ज आ. नं. 1/5 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा बाद भू–प्रबंधन में नवीन आराजी नं. 1 रकबा 0.85 हैक्टेयर कायम करते हुए वादी के रकबे को कर दिया गया। भू–प्रबंध में बिना किसी सक्षम स्वीकृति के वादी के कम किये रकबे को दुरुस्त किया जाकर वादी को 1.21 हैक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है साथ ही साबिक नक्शे को नवीन भू–प्रबंध के दौरान गलत तरमीम कर दिया गया है इसलिये नक्शा ट्रेस को आरजी एवं रकबे अनुसार तरमीम करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही अन्य खातेदार की आराजी नं0 2,3,4 एवं 5 का भी नक्शा रकबे अनुसार [illegible] किया जावे। तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह आज दिनांक 08.09.2021 को डिक्री पर्चा मुर्तिब किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:55:46 IST
Reason: SelfAttested

(अंजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
भदेसर, जिला चित्तौडगढ

Scanned with CamScanner